राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(1)ग्रावि/नरेगा/भा.स./2010 जयपुर, दिनांक 19 OCT 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की एमआईएस फीडिंग के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय हेतु राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार से प्राप्त राशि किन–किन मदों पर व्यय की जानी है एवं किन–किन मदों पर व्यय अनुमत नही है, के क्रम में समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किये गये है। प्रशासनिक व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाना है जिनके संबन्ध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय की एमआईएस लेखांकन का विश्लेषण करने पर यह पाया कि प्रशासनिक व्यय का एमआईएस में लेखांकन गैर अनुमत मदों पर भी किया जा रहा है।

अतः इस कम में यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक व्यय के संबन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं इसका एमआईएस में लेखांकन करते समय सही मद का उल्लेख किया जावे ताकि गैर अनुमत मदों का लेखांकन ना हो सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पूर्व में गैर अनुमत मदों पर लेखांकन किये गये प्रशासनिक व्ययों के लेखांकन को तुरन्त प्रभाव से सही कराया जावे।

भवदीय
13/10/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस